>

Title: Need to take steps to make Surat in Gujarat as an International Diamond Hub and suitably amend the proposed Direct Tax Code Bill to provide relief to diamond merchants.

**श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):** मैं माननीया अध्यक्षा जी के माध्यम से इस सदन का ध्यान सूरत, गुजरात के हीरा उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी ने व्यापार नीति (2009-14) में सूरत में इंटरनेशनल डायमंड हब बनाने की बात कही है। गत् कुछ वर्षों से आर्थिक मंदी के चलते इस उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं तथा इसमें कार्यरत लाखों लोग जैसे लघु, मध्यम एवं उच्च वर्ग के व्यापारी, कारीगर, दलाल, ठेकेदार, आयात एवं निर्यातकर्ता बेरोजगार होने लगे हैं। ऐसे में इस उद्योग को भी सरकार की ओर से कपड़ा, चमड़ा एवं हस्तकला उद्योग को दी गई रियायतों के समान ही रियायतें दिये जाने की आवश्यकता है । अन्यथा सूरत को हीरा उद्योग का इंटरनेशनल डायमण्ड हब बनाना असंभव हो जायेगा। अतः इस हीरा उद्योग के संरक्षण की अविलम्ब आवश्यकता है।

यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल की धारा 139(1) एवं (2एफ) में आयकर अधिकारियों को शक्ति प्रदान की है कि "अधिकृत अधिकारी की शक्ति बुलियन व्यापारी के किसी स्टाक बहुमूल्य एवं अर्द्धमूल्य पत्थरों या जवाहरात, जो सर्च के दौरान पाये जाते हैं, उन्हें जब्त करने की होगी। " यह बात आप सब जानते हैं कि बहुमूल्य पत्थरों एवं जवाहरात की कीमत करोड़ों में होती है। यदि शंका के आधार पर उक्त स्टाक को जब्त किया जाता है तो व्यापारी बर्बाद हो जायेगा क्योंकि पुराने Cases में 10 वर्षों से अधिक समय में भी निर्णय नहीं होने के कारण करोड़ों रूपये का स्टाक जब्त है। हीरा उद्योग के लिए कैरेट टू कैरेट लेखा-जोखा रखना असंभव है। हीरा उद्योगपतियों द्वारा उद्योग में इसीलिए टैक्स मॉडयूल बनाने की बात कही जा रही है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अतः ऐसे में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में से उक्त प्रावधानों को समाप्त किया जाना ही उचित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2011 से हीरा एवं जवाहरात उद्योग पर जो गुड्स सेल्स टैक्स (जी.एस.टी.) लगाया जा रहा है, इसको नहीं जानने के कारण ज्यादातर छोटे व्यापारियों का उद्योग धंधा बंद हो जायेगा। चूंकि तैयार हीरे का उत्पादन गुजरात में होता है तथा इसका निर्यात मुंबई से होता है। इसके टैक्स का क्रेडिट भी मुंबई से ही दिया जाता है। ऐसे में इस राशि का समायोजन कराया जाना जटिल हो जायेगा। इसलिए हीरे एवं जवाहरात की बिक्री पर से जी.एस.टी. पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना उचित है। परन्तु, यदि इसे लागू भी किया जाता है तो 0.5 प्रतिशत से अधिक जी.एस.टी. नहीं लगाया जाना चाहिए। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सूरत को इंटरनेशनल डायमंड हब बनाने के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाए।